छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर,अटल नगर, जिला-रायपुर

क्र. File No. RULE/90/2026-GAD-3 अटल नगर दिनांक 27-01-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषयः- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का चौबीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 में की गई टीकायें एवं सुझाव।

संदर्भ:- इस विभाग का निर्देश क्र. एफ 20-1/08/1-3, दिनांक 26.02.2008, क्र. एफ 20-1/09/1-3, दिनांक 16.06.2009, क्र. एफ 20-1/10/1-3 दिनांक 12.03.2010 एवं दिनांक 26.02.2011 क्र. एफ 21-1/12/1-3 दि.19.03.2012, 07.02.2013, 29.01.2014, 21.10.2014, 03.01.2018 एवं दिनांक 17.02.2020

---ः:ः---

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने ''चौबीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025'' में, विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक एवं गोपनीय चरित्रावलियों का समय पर न लिखे जाने के संबंध में होने वाली समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए, लेख किया है कि विभागीय पदोन्नति के लिए प्रपत्र एवं चेकलिस्ट निर्धारित है, किन्तु अनेक विभागों द्वारा चेकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे जाने से, बार-बार पत्राचार करना पड़ता है, जिससे समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब होता है। विभागों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से संबंधित आवश्यक अभिलेख, प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों की उपलब्धता की जानकारी आदि आयोग को, प्रस्ताव के साथ ही भेजे जाने चाहिए। पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन में मुख्य बाधा वांछित गोपनीय प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता, वरिष्ठता संबंधी विवादों/अभ्यावेदनों का निराकरण नहीं हो पाने से उत्पन्न होती है।

2/ तत्संबंध में सभी विभागों का ध्यान सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापनों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें आयोग द्वारा प्रस्तुत टीकाओं/सुझावों पर समुचित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। किन्तु, आयोग के चौबीसवे प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि शासन के निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा आयोग की अपेक्षानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है।

File No. RULE/90/2026-GAD-3 (Computer No. 235677)
Generated from eOffice by RAMESH KUMAR PATEL, ASO(GAD-3)-2, ASSISTANT SECTION OFFICER(GAD-3), GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT-3 on 13/02/2026 11:32 am

3/ अतः आदेशानुसार पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि आयोग के चौबीसवें प्रतिवेदन में निहित सुझावों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(आर.पी.त्रिपाठी)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. File No. RULE/90/2026-GAD-3 अटल नगर दिनांक 27-01-2026

प्रतिलिपि:-

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. मान. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग रायपुर,
8. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय,महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
9. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
10. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर **www.gad.cg.gov.in** पर तत्काल अपलोड करने हेतु ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग